अध्याय 3: सी.आर.जेड. अधिसूचना के तहत परियोजना का अनुमोदन

तटीय क्षेत्र के विकास कार्य के लिए सी आरजेड द्वारा जारी अधिसूचना को लागू करने की मांग की जाती है। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने तटीय क्षेत्रों की समस्या को ध्यान रखते हुए क्षेत्रिय वर्गिकरण किया है। इन क्षेत्रों में होने वाले गतिविधियों को सी.आर.जेड. द्वारा निर्देशित अधिसूचना के तहत सीमित किया जाना था और सी.आर.जेड. क्षेत्रों में उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए एन.सी.जेड.एम.ए./एस.सी.जेड.एम.ए., की सिफारिश के आधार पर एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी./एस.ई.आई.ए.ए. से पूर्व स्वीकृति लेनी चाहिए थी। पिछले दो दशकों में, विकास गतिविधियों को ई.आई.ए. अधिसूचना **2006** और सी.आर.जेड. अधिसूचना **1991/2011/2019** (जो भी लागू हो) के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृति दी गई, संबंधित एस.सी.जेड.एम.ए. के सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृति दी गई।

तालिका 3.1: सी.जेड.आर. क्षेत्रों में परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए कई प्राधिकरणों को अनिवार्य किया गया

परियोजना के प्रकार	स्वीकृति के लिए अधिकृत प्राधिकरण
ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के अन्तर्गत आने वाली परियोजना	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. या एस.ई.आई.ए.ए.
इन परियोजना के लिए जो ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 में शामिल न होकर सी.आर.जेड. अधिसूचना के पैरा 4(ii) के अन्तर्गत है।	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.
20,000 वर्गमीटर से अधिक की निर्माण परियोजनाओं के लिए निर्मित क्षेत्र	एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी.
20,000 वर्गमीटर से कम की भवन परियोजना के लिए	राज्य या नगर योजना प्राधिकरण

परियोजना प्रस्तावक[20] पी.पी. द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण प्रभाव आकलन (ई.आई.ए.) प्रतिवेदन के आधार पर एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी./एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाती है। ई.आई.ए. प्रतिवेदन में पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई.एम.पी.) रखा गया जोकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए जाने वाले उपायों के प्रस्ताव रखती है जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके। ई.आई.ए. प्रक्रिया, परियोजना प्रस्तावों के लागत लाभ विश्लेषण करने में निर्णय निर्माता की सहायता करती है तथा तटीय आंतरिक (क्षेत्र) के स्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। ई.आई.ए. के मुख्य कार्य **(अनुलग्नक-1)** में एक फ्लोचार्ट के माध्यम से प्रदर्शित की गई है।

[20] वे संस्था जो परियोजना लगाने के लिए अनुमोदन करता है।

लेखापरीक्षा परियोजना स्वीकृति प्रक्रिया के कुछ परियोजना नमूना का परीक्षण किया जोकि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी./एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा अनुमोदित किया गया था। लेखापरीक्षा अवलोकन नीचे दिए गए अनुच्छेद में दिए गए है।

3.1 ई.आई.ए. प्रतिवेदन में कमी के बावजूद परियोजना की स्वीकृति

लेखापरीक्षा ने ई.आई.ए. के प्रतिवेदन में कई कमियाँ देखी, इसके बावजूद इन ई.आई.ए. प्रतिवेदनों पर आधारित परियोजनाओं को अनुमोदित किया। यह तटीय पारितंत्रों के संरक्षण के संबंध में निर्णय लेने की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा, इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

(i) गैर-मान्यता प्राप्त सलाहकारों द्वारा ई.आई.ए. को बनाया गया

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने अपने निर्देशों (मार्च 2010) में निर्धारित किया कि जुलाई 2010 के बाद किसी परियोजना के लिए प्राप्त ई.आई.ए. को पर्यावरण स्वीकृति के लिए तभी माना जाएगा जब ई.आई.ए. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण बोर्ड (एन.ए.बी.ई.टी.)/भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यू.सी.आई.) द्वारा संचालित किया गया हो। इसके अलावा, सलाहकार केवल उन्हीं क्षेत्रों में ई.आई.ए. कर सकते हैं जिनके लिए उन्हें मान्यता दी गई हो।

लेखापरीक्षा ने 21 परियोजनाओं का मंजूरीनामा देखे **(अनुलग्नक-2)** जिसमें ई.आई.ए. सलाहकार गैर-मान्यता प्राप्त था एवं यह परियोजना के लिए विशिष्ट क्षेत्र की मान्यता प्राप्त नही थी। कुछ मामलों का नीचे दिखाया गया हैः

तालिका 3.2: गैर-मान्यता प्राप्त सलाहकारों द्वारा ई.आई.ए. को बनाया गया

परियोजना	परियोजना स्वीकृति	ई.ए.आई. के लिए सलाहकार
महानगर गैस लिमिटेड, महाराष्ट्र के द्वारा नेचुरल गैस पाइपलाईन का बिछाना	2018 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के द्वारा स्वीकृति	इस परियोजना में उरण से नवी मुंबई नगर निगम तक पाइपलाइन बिछाकर प्राकृतिक गैस का परिवहन और वितरण करना शामिल था। सलाहकार जेवी एनालिटिकल सर्विसेज पुणे को पाइपलाइन क्षेत्र के लिए मान्यता प्राप्त नही थी।
मेसर्ज मोतीमहल होटल प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटक के द्वारा दक्षिण कन्नड़ जिला मैगलोर में होटल बिल्डिंग का निर्माण कार्य	2017 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. के द्वारा स्वीकृति दी गई	पर्यावरण प्रबंधन योजना और आपदा प्रबंधन योजना जो ई.ए.आई. का एक हिस्सा था परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही प्रस्तावित की गई थी और इस परियोजना के लिए एक मान्यता प्राप्त सलाहकार नियुक्त नही किया गया।

(ii) पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए पुराने आधारभूत डेटा का उपयोग:

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने अपने निर्देशों (अगस्त 2017) में निर्देशित किया कि पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के समय आधारभूत डेटा[21] 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ऑडिट (लेखापरीक्षा) ने 12 परियोजना अनुमोदन देखे **(अनुलग्नक-3)** जिसमें ई.आई.ए. ने पुराने बेसलाइन डेटा का इस्तेमाल किया, जहाँ एकत्र किया गया डेटा 2 से 11 साल पुराना था। कुछ मामलों को नीचे दिखाया गया है:

क. मुंबई में प्रिंसेस फ्लाईओवर से वर्ली तक 35 किमी तटीय सड़क के निर्माण के लिए प्रस्तावित परियोजना को 2017 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृति दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने जून 2011 में तटीय सड़क के निर्माण में विभिन्न विकल्पों, की जाँच के लिए एवं पर्यावरण पर इसके प्रभाव के लिए एक संयुक्त तकनीकी समिति (जेटीसी) का गठन किया था। जेटीसी प्रतिवेदन जोकि ई.आई.ए. अध्ययन (2016) का एक घटक है जिसके अनुसार मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए किए गए व्यापक यातायात अध्ययन के आधार पर इसे सुगम यातायात के लिए सही पाया गया। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने बिना बेसलाइन अध्ययन के अपडेट किए और इस अवधि के दौरान आसपास के प्रमुख ढ़ाँचागत विकास परियोजनाओं को बिना ध्यान रखें ही 2017 में स्वीकृति दे दी।

ख. गुजरात के भरूच जिले के दाहेज में प्रस्तावित परियोजना "पेट्रोलियम रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र के विकास (पी.सी.पी.आई.आर.)" का उद्देश्य इस क्षेत्र में पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल के लिए उत्पादन सुविधाएं स्थापित करना है। 2013 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित शर्तों के संदर्भ में अनुसार परियोजना प्रस्तावक को सतही जल गुणवत्ता विश्लेषण करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ई.आई.ए. प्रतिवेदन में परियोजना से संबंधित जल गुणवत्ता विश्लेषण डेटा 2010-11 का ही था जो बेसलाइन डेटा में 7 साल से अधिक पुराना था। इस परियोजना को भी 2017 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृति दी गई थी।

ग. प्रस्तावित परियोजना मेसर्ज मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट ऑथरिटी द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक (एम.टी.एच.एल.) के निर्माण के लिए एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने 2013 में स्वीकृति दे दी। जिसमें ई.आई.ए. में मैंग्रोव, फ्लेमिंगो के प्रवास और मडफ्लैटस पर होने वाले परियोजना के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया, अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) ने आदेश दिया कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. को परियोजना पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक ने 2015 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के यहाँ आवेदन किया था और दिसबंर 2015 में ई.आई.ए. प्रतिवेदन के आधार पर परियोजना को स्वीकृति भी दे दी गई जिसमें 2011 वाले बेसलाइन डेटा से संबंधित केवल हवा, पानी, शोर, मिट्टी की गुणवत्ता का ही उपयोग किया गया था।

[21] जिसे आई.यू.सी.एन. द्वारा लुक्तप्राय प्रजातियों के रुप में वर्गीकृत किया गया।

जबकि, क्षेत्र में आनेवाली प्रवासी पक्षियों के बारे में जानकारी 2008[22] से संबंधित थी। इस प्रकार आधारभूत डेटा 4 से 7 साल पुराना था।

(iii) ई.आई.ए. में पर्यावरण प्रभाव को पूर्णरूपेण विश्लेषित नहीं किया गया

ई.आई.ए. का उद्देश्य प्रस्तावित परियोजना में पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की पूरी श्रृंखला का मूल्याकंन करना है जो परियोजना क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्व के मूल्यांकन के साथ शुरू होता है। यानि परियोजना क्षेत्र में महत्वपूर्ण जैव विविधता की पहचानः पारिस्थितिक मूल्यांकन के बाद विस्तृत प्रभाव पूर्वानुमान विश्लेषण किया जाता है लेखापरीक्षा ने पाया कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने परियोजना का अनुमोदित किया भले ही ई.आई.ए. ने परियोजना क्षेत्र में पारिस्थितिक पहलुओं को व्यापक रूप से ध्यान नही रखा। हमने यह पाया कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा अनुमोदित 43 नमूना परियोजनाओं में से 14 परियोजना स्वीकृति (अनुलग्नक-4) के संबंध में, पर्यावरण प्रभाव अध्ययन क्षेत्र में से प्रमुख जैव विविधता की पहचान करने में विफल रहा और साथ ही अद्वितीय जैव विविधता जोखिमों को भी कम करने में असफल रहा। कुछ मामलों का नीचे प्रदर्शित किया गया।

तालिका 3.3: ऐसे मामले जहां पर्यावरण प्रभाव अध्ययन क्षेत्रों में से प्रमुख जैव विविधता की पहचान करने में विफल रहे

परियोजना	स्वीकृत	जैवविविधता का मूल्याकंन न होना/सुधार के उपाय न करना
महाराष्ट्र में मेसर्स रेडी पोर्ट लिमिटेड द्वारा रेडी पोर्ट, सिंधुदुर्ग में सुविधाओं का विस्तार	2018 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृति दी गई।	परियोजना क्षेत्र में फाईटोप्लैंटस की 56 प्रजातियां, मीठे पानी की मछलियां और मैंग्रोव की 27 प्रजातियों का घर था। ई.आई.ए. अध्ययन इन पर सुधार गतिविधियों के प्रभाव का आकलन नहीं किया।
महानगर गैस लिमिटेड, महाराष्ट्र द्वारा मुंबई में प्राकृतिक गैस पाइपलाईन का बिछाना	2018 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृति	ई.आई.ए. अध्ययन में, मैंग्रोव की उपस्थिति की पहचान करने में विफल रही और उन पारितंत्रों पर परियोजना के प्रभाव का आकलन नहीं किया गया।
गोवा में मोरमुगोआ पोर्ट को ट्रस्ट द्वारा एप्रोच चैनल को गहरा करना	2016 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृति मिलना	तलकर्षण क्षेत्र से 4 किमी दूर ग्रांड द्वीप में न तो प्रभाव न ही लुप्तप्राय प्रजाति जैसे विंडोपेन, ओइस्टर[23], कोरल और संबंधित जीवित प्रजाति के लिए कोई सुधार योजना।

[22] सलीम अली सेंटर फार ऑर्नीथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री (एस.ए.सी.ओ.एन.) द्वारा किया आकलन

[23] जिसे आई.यू.सी.एन. द्वारा लुक्तप्राय प्रजातियों के रुप में वर्गीकृत किया गया।

		इन बायोटा को परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहचाना गया और ई.आई.ए. प्रतिवेदन का एक हिस्सा बनाया गया।

(iv) आपदा प्रबंधन को ई.ए.आई. में पूर्णरुपेन शामिल नहीं किया गया

ई.आई.ए. अध्ययनों में बड़े पैमाने पर तकनीकी और प्राकृतिक खतरों से उत्पन्न होने वाली आपदाओं की तक्षण सुरुआत का आकलन शामिल है ताकि पर्यावरण क्षति को रोका जा सके और कम किया जा सके। आपदा प्रबंधन योजना प्रमुख पुर्वापेक्षाओं में से एक है जिसे परियोजना प्रस्तावक को अनुमोदन अधिकारियों को प्रस्तुत करना होता है। हमने एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा 16 परियोजनाओं की स्वीकृति **(अनुलग्नक 5)** देखी जो या तो आपदा प्रबंधन योजना से रहित थी या विशेष रुप से आपदाओं को शामिल नहीं की थी। कुछ मामलों को नीचे हाईलाईट किया गया है:

तालिका 3.4 डी.एम.पी. की अनुपस्थिति में या जब वे विशिष्ट आपदाओं के संबंधित नहीं करते है, फिर भी स्वीकृति दी गई।

परियोजना	स्वीकृति	आपदा प्रबंधन योजना में कमी
तामिलनाडू के चेन्नई में रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा खाद्य तेल ट्रांजिट टर्मिनल का पूर्णविकास	2018 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृत प्राप्त होना	परियोजना क्षेत्र बाढ़ और चक्रवात से ग्रस्त था। ई.ए.आई. में उन मुद्दों के समाधान के लिए आपदा प्रबंधन योजना शामिल नहीं थी।
कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट पश्चिम बंगाल द्वारा मिनी बल्क कैरियर हैंडलिंग सुविधा की स्थापना	2017 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृति स्वीकृति	परियोजना स्थल को गंभीर तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र[24] के रुप में वर्गीरकृत किया गया था। पश्चिम बंगाल एस.सी.जेड.एम.ए. की सिफारिशों के अनुसार परियोजना क्षेत्र चक्रवाती तूफानों से ग्रस्त था। परन्तु ई.आई.ए. प्रतिवेदन में इसे संबोधित करने के लिए आपदा प्रबंधन योजना नहीं थी।
कर्नाटक में न्यू मैगालोर बंदरगाह पश्चिमी डॉक आर्म में चार बर्थ का विकास	2016 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृति स्वीकृति	परियोजना स्थल को बी.आई.एस. 2000, भारत के भूकंपीय मानचित्र के अनुसार जोन III में वर्गीकृत किया गया था और भूकंप, तूफान, चक्रवात और सुनामी के

[24] भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) 2000, भारत का भूकंपीय मानचित्र के अनुसार

परियोजना	स्वीकृति	आपदा प्रबंधन योजना में कमी
		लिए मध्यम जोखिम वर्ग में था। आपदा प्रबंधन योजना में शमन उपायों की परिकल्पना नहीं की गई थी।

इस प्रकार, ई.आई.ए. प्रतिवेदन तैयार करने में कई कमियाँ पाई गई जैसे पुराने बेसलाईन डेटा का उपयोग, गैरमान्यता प्राप्त सलाहकारों द्वारा बनाई गई ईअईए प्रतिवेदन आपदाओं का ध्यान न रख पाने और ई.आई.ए. में पारिस्थितिक प्रभावों की पूरी शृंखला को संबोधित करने में विफलता ने, तटीय पारितंत्र की संरक्षण की प्रक्रिया को कमजोर कर दी।

3.2 पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई.एम.पी.) में कमियाँ

ई.एम.पी. के अंतर्गत निर्माण, संचालन और विकास गतिविधि के पूरे जीवन चक्र के दौरान परियोजना की प्रत्येक गतिविधि के तहत सभी शमन उपायों के साथ-साथ लागत और परियोजना के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने का लक्ष्य शामिल है। ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के अनुसार, ई.एम.पी. में यह सुनिश्चित करने के सभी प्रशासनिक पहलुओं का विवरण शामिल होना चाहिए जिनसे शमन उपायों को लागू किया जाता है और उनकी प्रभावशीलता की निगरानी की जाती है।

(i) शमन गतिविधियाँ ई.एम.पी. में शामिल नहीं थी

हमने **13** परियोजना स्वीकृतियों **(अनुलग्नक 6)** में पाया कि जहाँ मैग्रोव संरक्षण/परियोजना जैव विविधता संरक्षण योजना वर्षा जल संचयन योजना जैसी न्यूनीकरण गतिविधियाँ ई.एम.पी. का हिस्सा नही बनी क्योंकि इसे परियोजना प्रस्तावक (पी.पी.) पर छोड़ दिया गया था साथ ही हमने देखा कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने यह सत्यापित नहीं किया कि क्या यह परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्देशानुसार किया गया था या नही। कुछ मामलों को नीचे रेखांकित किया गया है।

क) तमिलनाडु के कामराजार बंदरगाह में प्रस्तावित परियोजना में कोयले के प्रहस्तन के लिए मौजुदा लौह अयस्क टर्मिनल का निर्माण संशोधन को 2018 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा अनुमोदित किया गया था। एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. नें स्वीकृति देते समय, परियोजना प्रस्तावक (पी.पी.) को आग की रोकथाम के लिए एक प्रबंधन योजना तैयार करने का निर्देश दिया था। इसके आलावा पी.पी. को समुद्री और इंटरटाईडल बायोटोप्स के बायोटा की जीवों की संरचना की सूची बनाना था और एक विस्तृत समुद्री जैव विविधता संरक्षण प्रबंधन योजना तैयार करना था। हालाकि, यह देखा गया कि ये गतिविधियाँ ई.एम.पी. का हिस्सा नहीं थी और परियोजना द्वारा कार्यान्वयन की लागत की गणना नहीं की गई थी।

ख) मुंबई में सी.जेड.आर. क्षेत्रों में प्रस्तावित परियोजना हाई स्पीड रेलवे परियोजना को 2019 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस परियोजना की सिफारिश करते हुए, ईएसी ने एक विशिष्ट शर्त लगाई कि राज्य में संबंधित एजेंसी के साथ

परामर्श ठाणे क्रीक फ्लेमिगो अभयारण्य के लिए एक मजबूत संरक्षण और प्रबंधन योजना तत्काल कार्यान्वयन के लिए विस्तृत कार्य योजना तातकालिक कार्यान्वयन के लिए बनाई जाए। तदापि, यह देखा गया कि ई.एम.पी. में इस गतिविधि के लिए किए जाने वाले व्यय के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं थी।

(ii) हमने पाया कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा 9 परियोजना स्वीकृति **(अनुलग्नक 7)** में परियोजना प्रस्तावक में न तो ई.एम.पी. के लिए कोई परिमाणित विधि निर्धारित की थी और न ही ई.एम.पी. बजट में लागत विवरण का ब्यौरा दिया गया था, आगे दो मामलों में हमने पाया कि परियोजना प्रस्तावक में उन गतिविधियों की लागत शामिल नहीं थी जिन्हें शमन उपायों के एक भाग के रुप में किया जाना था।

कुछ उदाहरण नीचे हाईलाईट किए गए हैः

क) **महाराष्ट्र के मलाड में सी -.जेड.आर.I क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट** स्थापित करने वाली प्रस्तावित परियोजना को 2017 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा अनुमोदित किया गया था। लगभग 36 हेक्टेयर मैग्रोव कवर को विक्षुब्ध करने की आवश्यकता थी और परियोजना के तहत 180 हेक्टेयर के प्रतिपूरक वनीकरण की आवश्यकता थी। सी.आर.जेड. स्वीकृति के लिए परियोजना प्रस्तावक को मैग्रोव संरक्षण योजना विकसित करने के लिए महाराष्ट्र के मैग्रोव फाउंडेशन या मैग्रोव के पुनर्वास के लिए किसी प्रतिष्ठित संस्थान के परामर्श की आवश्यकता थी। हमने पाया कि यद्पि ई.एम.पी. में मैग्रोव की कटाई/ और पुनर्रोपण निर्धारित किया था, परन्तु उसके लिए लागत निर्धारित नहीं की गई थी।

ख) एक अन्य प्रस्तावित परियोजना **महाराष्ट्र के मुंबई तटीय सड़क का निर्माण** जिसे 2017 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस परियोजना में लगभग 90 हेक्टेयर का सुधार शामिल था। शमन उपायों में तटीय सड़क के चारों ओर अवरोधों की स्थापना, ठोस और तरल कचरे का उचित प्रबंधन और क्षेत्र में विशेषता वाले संस्थान से क्षेत्र के लिए समुद्री जैव विविधता संरक्षण योजना तैयार करना शामिल था। हालाँकि, ई.एम.पी. में केवल परियोजना स्थल के आसपास वायु, जल, मिट्टी और ध्वनी प्रदुषण के प्रबंधन से संबंधित गतिविधियाँ शामिल थी।

ई.एम.पी. का परियोजना के पारिस्थितिक प्रभावों पूरी श्रृंखला को संबोधित करने में असमर्थता उस की प्रक्रिया को कमजोर करेगी जो यह सुनिश्चित करती है कि ये परियोजनाएँ तटीय क्षेत्र के लिए हानिकारक नहीं है।

3.3 परियोजना स्वीकृति के लिए संचयी प्रभाव अध्ययन का अभाव

परियोजना क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के संयुक्त प्रभाव के परिणामस्वरुप संवर्धित प्रभावों का अध्ययन करने के लिए संचयी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन महत्वपूर्ण है। किसी क्षेत्र में परियोजनाओं के संयुक्त प्रभावों से होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के

शमन, निगरानी और प्रबंधन की सिफारिश की जा सकती है। ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के अनुसार पी.पी. को उन कारकों के बारे में जानकारी प्रदान करनी थी जो हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव पैदा कर सकते है या जो इलाके में अन्य मौजूदा या नियोजित गतिविधियों के साथ परियोजना के संचयी प्रभाव की संभावना रखते है। हमने देखा कि 11 परियोजना स्वीकृतियों **(अनुलग्नक 8)** में संचयी प्रभाव के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई। ऐसे उदाहरण नोट किए गए जहाँ परियोजना प्रस्तावक ने कोई वास्तविक संचयी प्रभाव का अध्ययन नहीं किया। नीचे कुछ मामलों पर प्रकाश डाला गया है।

क. **मधुसिलिका प्रइवेट लिमिटेड (एमएसपीएल) द्वारा एक अपशिष्ट की पाइपलाईन बिछाने की प्रस्तावित परियोजना भावनगर गुजरात** में 2015 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृति दी गई थी। परियोजना में समुद्री बहाव के लिए 10 एमएलडी अपशिष्ट निपटान की परिकल्पना की गई थी, जहाँ पहले से ही चित्रा इंडस्ट्रीज एशोसियशन और भावनगर नगर निगम से 20 एमएलडी अपशिष्टों का निपटान हो रहा था। सी.पी.सी.बी. ने भावनगर को अत्यधिक प्रदूषित औद्योगिक समूहों में से एक के रुप में सूचीबद्ध किया था। इसके बावजूद, संचयी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए बिना परियोजना को स्वीकृति दी गई थी।

ख. दो परियोजनाओं में **अदानी पोर्ट और एसईजेड लिमिटेड द्वारा अंतरराष्ट्रीय चमड़ा परिसर और मैसर्स हयासिंथ्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश के द्वारा समर्पित पाइपलाईन के माध्यम** से उपचारित अपशिष्ट का समुद्री निपटान के लिए 2014 में ई.ए.सी. ने प्रस्तावित परियोजना के आसपास अन्य समुद्री बहाव की उपस्थिति पर विचार करते हुए समुद्री निपटान के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक संचयी अध्ययन की सिफारिश की। ई.आई.ए. अध्ययनों में कोई संचयी ई.आई.ए. शामिल नहीं था जिन्हें 2015 में अनुमोदित किया गया था। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले 2019 में एक अन्य दवा परियोजना, दीवी की परियोगशाला द्वारा थोक दवा कि इकाई की स्थापना में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृति दी थी हालांकि ई.आई.ए. ने परियोजना स्थल के आसपास कई बहिर्वाह की पहचान की थी पी.पी. द्वारा कोई भी संचयी अध्ययन नहीं किया गया था। मूल्यांकन को दौरान ई.ए.सी. इसका हल करने में असफल रही।

क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं की नजर में, परियोजनाओं के संचयी प्रभावों को दूर करने में विफलता से तटीय क्षेत्र की पारिस्थितिकी के लिए जोखिम बढ़ जाएगा।

3.4 परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का सत्यापन न करना

हमने परियोजना अनुमोदन के तीन मामले देखे जहाँ एम.सी.एवं सी .एफ.ई.ओ. निजी सलाहकारों द्वारा दी गई सलाह की सत्यता को सत्यापित करने के लिए स्वतंत्र प्रयास करने में विफल रहा। एमओईएफ एवं सीसी परियोजना की गतिविधियों के कारण संभावित पारिस्थितिकी जोखिमों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर ही निर्भर था। यह ध्यान देना चाहिए कि कुछ परियोजना स्वीकृति के बाद भी एनजीटी द्वारा यह जानने पर रद्द कर

दी गई थी कि पी.पी. ने स्वीकृति के लिए अनुरोध करते समय जानबूझ कर महत्वपूर्ण जानकारी को दबा दिया था।

क. **मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन डेवलपमेंट ऑथरिटी द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक (एम.टी.एच.एल.) प्रस्तावित परियोजना** को 2013 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृति दी गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संकेत मिलता है कि मैंग्रोव का क्षेत्र और परियोजना के तहत प्रभावित मडफ्लैट 0.18 हेक्टेयर था। महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रवधान प्रधिकरण (एम.सी.जेड.एम.ए.) की सिफारिश के अनुसार प्रभावित क्षेत्र 0.99 हेक्टेयर (सेवरी में 0.06 हेक्टेयर और चिरले में 0.93 हेक्टेयर था। उस परियोजना में 38.58 हेक्टेयर मैंग्रोव क्षेत्रों के साथ-साथ 8.8416[25] हेक्टेयर वन भूमि का परिवर्तन शामिल था। एन.जी.टी. द्वारा यह भी देखा गया था कि पी.पी. (परियोजना प्रस्तावक) द्वारा मडफ्लैट और फ्लैमिंगों से मुक्त तटीय पारितंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन नहीं किया गया था। इस प्रकार एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा दी गई स्वीकृति को अक्तूबर 2015 में उस आधार पर हद्द कर दिया गया था कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया गया था। परियोजना पर नए सिरे से विचार किया गया और दिसंबर 2015 में स्वीकृति दी गई।

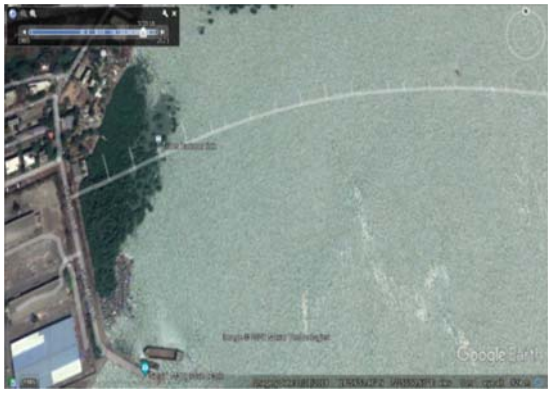

चित्र 2: 2018 में सेवारी क्षेत्र में मैंग्रोव

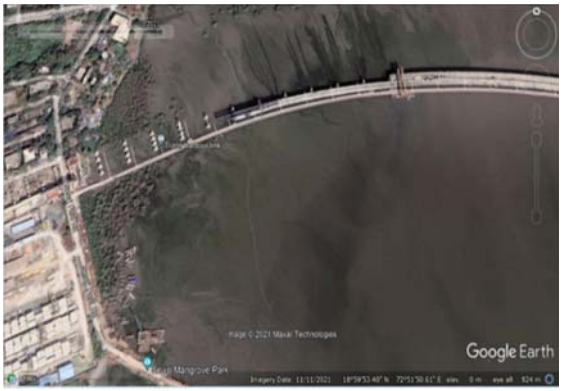

चित्र 3: 2021 में सेवारी क्षेत्र में मैंग्रोव

ख. एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा 2017 में **गुजरात के मीठापुर में कच्छ की खाड़ी में उपचारित अपशिष्ट अपवहन पाइपलाईन बिछाने के लिए प्रस्तावित परियोजना मैसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड** को स्वीकृति दी गई। ई.ऐ.सी. के अनुसार पोशित्रा खाड़ी जोकि अपशिष्ट निर्वहन बिंदु से सटे क्षेत्र के रुप में जाना जाता था जो गंभीर रुप से लुप्तप्राय डुगौंग प्रजातियों[26] का अंतिम शेष चारागाह बचा था। पोशित्रा गंभीर रुप से लुप्तप्राय मोलोस्स[27] के लिए एक स्थानीक स्थल भी था। ई.आई.ए. अध्ययनपरियोजना स्थ ,ल के आसपास समुद्री जीवों के बारे में मूक रहा और ई.आई.ए .प्रतिवेदन में केवल उतना कहा गया था कि समुद्री सरीसृप और

[25] 2013 में श्री दिलीप बी.नेवतिया द्वारा एनजीटी में दायर अपील के अनुसार

[26] पश्चिमी भारतीय आबादी कच्छ की खाड़ी के इस हिस्से तक ही सीमित थी।

[27] जैसे सकुराओलिस गुजरातिका और एंटेयोलिडएला पोशित्रा

खाड़ी के लिए आम स्तनधारी निर्माण कार्य गतिविधियों के कारण प्रभावित नहीं होगें क्योंकि वे ऐसे स्थलो से दूर रहते है। यह भी देखा गया था कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने परियोजना प्रस्तावक के दावे को स्वीकार कर लिया और महत्वपूर्ण तथ्यों को स्तयापित करने के लिए पर्यवरणीय प्रभाव विश्लेषण की सिफारिश नहीं की।

ग. **गुजरात के दहेज में अदानी पेट्रोनेट पोर्ट के विस्तार** की प्रस्तावित परियोजना में 23 हेक्टेयर इंटरटाइडल मडफ्लैट्स का सुधार शामिल है। वे प्रचुर मात्रा में अंक शारुकी जीवों के साथ उच्च जैविक उत्पादन वाले क्षेत्र है जो प्रवासी पक्षियों के लिए भोजन प्रदान करते है। उसके अलावा वे कई मछली प्रजातियों के लिए प्रजनन क्षेत्र के रुप में कार्य करते है। हालंकि उस परियोजना के ई.आई.ए. अध्ययन में कहा गया कि परियोजना क्षेत्र में मडफ्लैट जैविक रुप से निषक्रिय थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने परियोजना प्रस्तावक की राय को मान लिया और स्वतंत्र रुप से उस मुद्दे की जाँच नहीं की और 2016 में स्वीकृति दे दी।

इस प्रकार, एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. की और से तटीय पारितंत्र के संरक्षण के लिए महत्वपुर्ण जानकारी को सत्यापित नहीं करने से उसका संरक्षण प्रभावित होगा।

3.5 जन सुनवाई की प्रक्रिया में कमियाँ

जन सुनवाई परियोजना से सीधे प्रभावित लोगों को पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों के प्रस्ताव पर अपने विचार व्चक्त करने का अवसर प्रदान करती है। सार्वजनिक परामर्श नई जानकारी प्रदान कर सकता है, समझ में सुधार कर सकता है और ई.आई.ए. प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में मदद कर सकता है। ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 को आकर्षित करने वाली परियोजनाओं के लिए जनसुनवाई आयोजित की जाती है। हमने परियोजना अनुमोदन के पाँच मामले देखे **(अनुलग्नक-9)** जहाँ परियोजना प्रस्तावक सार्वजनिक परामर्श के संबंध में विभिन्न प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे।

कुछ मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकन इस प्रकार है:

क. 2019 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा अनुमोदित नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोलेशन लिमिटेड द्वारा हाई-स्पीस रेलवे कॉरिडोर की प्रस्तावित परियोजना गुजरात, दादरा और नगर हबेली और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरी। इस परियोजना के लिए उन राज्यों में 12 स्थानो पर जन सुनवाई अयोजित की गई थी। यह भी देखा गया कि सभी 12 स्थानों में जन सुनवाई के लिए सूचना की अवधि 03 से 15 दिनों[28] के बीच थी, जिसकी सूचना केवल एक स्थानीय समाचार[29] पत्र में प्रकाशित करवाई गई थी। जन सुनवाई में ठाणें पक्षी अमयारण्य के ग्रेटर फ्लेमिंगो पर कंपन के प्रभाव के संबंध में उठाए गए मुद्दों के जवाब में परियोजना

[28] 30 दिनों की न्यूनतम नोटिस अवधि प्रदान करने के लिए

[29] एक राष्ट्रीय पेपर और 1 स्थानीय भाषा का पेपर

प्रस्तावक ने कहा कि निर्माण गतिविधियाँ के कारण होने वाले कंपन का फलेमिगों पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालाँकि जब ई.ए.सी. द्वारा समान चिंता व्यक्त की गई तो परियोजना प्रस्तावक ने जबाव दिया कि कंपन के प्रभाव को तभी समझा जाएगा जब साइट का काम शुरु होगा। जन सुनवाई में दी गई जानकारी और ई.ए.सी. बैठक के दौरान दी गई जनकारी के बीच के बेमेल को लेखापरीक्षा द्वारा नोट किया गया था।

ख. 2017 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा हल्दिया डॉक काम्पलेक्स में मिनी बल्क कैरियर हैंडलिंग सुविधा की स्थापना के लिए प्रस्तावित परियोजना को स्वीकृति दे दी। यह देखा गया कि एस.पी.सी.बी. और बंदरगाह प्राधिकरणों के अलावा 46 व्यक्ति ने जन सुनवाई में भाग लिया था। हालाँकि, ई.आ.ई.ए. प्रतिवेदन में सुनवाई के दौरान उठाए गए स्थानीय समुदायों की कोई प्रतिक्रिया शामिल नहीं थी।

जन सुनवाई की प्रक्रिया में कमियाँ, जो स्थानीय समुदाय के प्रभाव पर मूल्यवान इनपुट प्रदान करती है, समानता और सतत विकास के सिद्धांतों का उल्लंघन करेगी।

3.6 पारिस्थितिक रुप से संवेदनशील क्षेत्रों पर उचित ध्यान दिए बिना परियोजनाओं को स्वीकृति देना

परियोजना स्वीकृति की जाँच के दौरान, हमने दो उदाहरण देखे जहाँ परियोजना क्षेत्र में और उसके आसपास पारस्थितक रुप से संवेदनशील क्षेत्र की उपस्थिति पर ध्यान दिये बिना स्वीकृति दी गई थी। उनमें से कुछ मामलों का उदाहरण नीचे दिया गया है।

तालिका 3.5: परियोजना क्षेत्र में और उसके आसपास जहाँ पारिस्थितिक रुप से संवेदनशील क्षेत्र की उपस्थिति पर ध्यान नही दिया गया।

परियोजना	स्वीकृत	संवेदनशील क्षेत्र नहीं माना गया
टी.आर.आई.एफ. कोच्चि परियोजनओं द्वारा कोचीन आवासीय विकास परियोजना	2016 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृति	यह पया गया कि हालांकि मंगलावनम पक्षी अभयारण्य परियोजना से 400 मीटर की दूरी भीतर स्थित था, जहाँ एन.बी.डब्ल्यू.एल. से स्वीकृति की आवश्यकता थी क्योंकि यह पारिस्थितिक क्षेत्र के 10 किमी. के अन्दर था। हालांकि यह नही ली गयी।
भारत पेट्रोलियम क़ॉर्पोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र द्वारा मुंबई मनमाड पाइपालाईन परियोजना	2015 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृति	यह पाया गया कि 3.17 हेक्टेयर मैंग्रोव को फिर से लगाया जाना था, लेकिन कोई पुनर्रोपण नहीं किया गया।

इस तरह कि स्वीकृति उन नाजुक और संवेदनशील क्षेत्रों के पारितंत्र संतुलन को प्रभावित करेगी।

3.7 राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृति और सिफारिशों का अनियमित अनुदान।

3.7.1 एस.सी.जेड.एम.ए. ने परियोजनाओं को स्वीकृति देने के अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया

क. एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने (दिसंबर 2012) में निर्धारित किया कि यदि पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता वाली परियोजना कोई वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्धान[30] के आसपास पर्यावरण संवेदन क्षेत्र के भीतर स्थित रहे तो पी.पी. (परियोजना प्रस्तावक) का राष्ट्रीय वन्यजीन बोर्ड की पूर्ण स्वीकृति लगेगी। हमने पाया कि **तमिलनाडु में कूंडुकल फिशिंग हार्बर की स्थापना** कुरुशादाई द्वीप से 1 कि.मी. के भीतर स्थित थी, जो मन्नार मरीन नेशनल पार्क की खाड़ी के कोर क्षेत्र का एक हिस्सा था। जिसमें एन.बी.डब्ल्यू.एल. की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही गतिविधियाँ की जा सकती है। हालांकि तमिलनाडु एस.सी.जेड.एम.ए. ने एन.बी.डब्ल्यू.एल. से बिना पूर्व स्वीकृति के ही 2018 में परियोजना के लिए सी.आर.जेड. स्वीकृति दे दी।

ख. 2015 में कर्नाटक के एस.सी.जेड.एम.ए. ने अगनाशिनी नदी के मुहाने के बाएँ किनारे के साथ 7.76 कि.मी. लंबे तटबंध को मजबूत करने के उद्देश्य से एक परियोजना को सी.आर.जेड. स्वीकृति दे दी। हालांकि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र पारिस्थितिक रुप से संवेदनशील क्षेत्र (सी.आर.जेड.-I) में आता था, यह पाया गया कि एस.सी.जेड.एम.ए. के द्वारा ई.आई.ए. या पर्यावरण जलीय जीवन और मैंग्कोव पर प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किए बिना ही स्वीकृति दे दी गई थी। एस.सी.जेड.एम.ए. द्वारा स्वीकृति देना अनियमित था क्योंकि एस.सी.जेड.एम.ए. केवल स्वीकृति के लिए सिफारिश कर सकते थे क्योंकि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी./एस.ई.आई.ए.ए. अनुमोदन निकाय है।

3.7.2 अनिवार्य दस्तावेज जमा किए बिना परियोजना की स्वीकृति

हमने 46 परियोजना के अनुमोदन को जाँच किया और उसमें पाया गया कि जहाँ प्रस्तावक अनिवार्य दस्तावेज जैसे ई.आई.ए. प्रतिवेदन, आपदा प्रबंधन प्रतिवेदन प्रतिवेदन, जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन, सी.आर.जेड. मानचित्र, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र, मलजल व अपशिष्टों के निर्वहन, आदि कार्य के लिए ये सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहे। जैसा कि (अनुलग्नक 10) में दिया गया है। कुछ मामलों का उदाहरण नीचे दिया गया हैः-

क. **चेन्नई के तिरूवोत्तियूर में तमिलनाडु सरकार के मत्स्य पालन विभाग, द्वारा प्रस्तावित परियोजना टूना फिशिंग हार्बर का निर्माण** को 2017 में तमिलनाडु एस.सी.जेड.एम.ए. ने स्वीकृत दे दी। इस परियोजना का उद्देश्य चेन्नई में मछली पकड़ने एवं प्रसंस्करण के लिए सुविधाएं

[30] इसकी सीमाओं से 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर या ऐसे क्षेत्र के परिसीमन के अभाव में,

तैयार करना है। परियोजना प्रस्तावक की ई.आई.ए. प्रतिवेदन से पता चला कि इस परियोजना में विलवणीकरण संयंत्र का निर्माण करना, समुद्र के पानी का इनटेक, उपचारित बहिस्रावों का निर्वहन, समुद्र में आर.ओ. रिजेक्ट शामिल था। एस.सी.जेड.एम.ए. ने अपनी स्वीकृति में पोत धोने से सीवेज और व्यापार अपशिष्ट के उपचार के लिए पर्याप्त क्षमता के ई.टी.पी. का प्रावधान निर्धारित किया था, साथ ही यूनिट को बंदरगाह में मछली पैकिंग सुविधा से अपशिष्ट उत्पन्न नहीं करने की सलाह दी गई थी। इसने एस.पी.सी.बी. से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना आवश्यक था। हालांकि हमने देखा मौजूदा मामले में इसे नहीं लिया गया था।

ख. **गुजरात के भावनगर जिले के कलातलाव एवं नर्मदा गाँव में स्थित प्रस्तावित परियोजना अतिरिक्त नमक निर्माण (2395.15 एकड़)** को 2017 में एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा स्वीकृति दी गई। हमने देखा कि अनिवार्य दस्तावेजों की अनुपस्थिति में ही स्वीकृति दी गई थी जिनमें कुछ इस प्रकार है समुद्री ई.आई.ए. प्रतिवेदन और स्थलीय घटक, जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन, पर्यावरण प्रबंधन योजना अधिकृत एजेंसी द्वारा चिन्हित एच.टी.एल./एल.टी.एल. के साथ सी.आर.जेड. मानचित्र जो अत्यधिक अनियमित था।

अपने अधिकार से अधिक और अनिवार्य दस्तावेजों के बिना परियोजना अनुमोदन प्रदान करने से अनुमोदन तंत्र में रखी गई जाँच कमजोर हो जाएगी और इस प्रकार, तटीय पारिस्थितिकी के संरक्षण में बाधा उत्पन्न होगी।

3.8 विशिष्ट परियोजनाओं की अनुमति के लिए सी.आर.जेड. अधिसूचना में संशोधनः-

एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने महाराष्ट्र राज्य में दो विशिष्ट विकास परियोजना की अनुमति देने के लिए सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 में संशोधन किया, उन परियोजनाओं पर नीचे चर्चा की गई है।

क. **मुंबई में ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एम.सी.जी.एम.) द्वारा एक तटीय सड़क के निर्माण के लिए परियोजना** को 2017 में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. द्वारा स्वीकृति दी गई थी। परियोजना को सी.आर.जेड.- I क्षेत्र में भूमि के सुधार की आवश्यकता थी जो सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 प्रावधानों के अनुसार अनुमेय नहीं थी इसलिए महाराष्ट्र के एस.सी.जेड.एम.ए. के प्राप्त एक सिफारिश के आधार पर एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने सी.आर.जेड. क्षेत्र में सुधार के माध्यम से सड़क के निर्माण की अनुमति देते हुए 2015 में सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 में संशोधन किया।

ख. **नरीमन पाईंट, मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा एवं स्मारक** के साथ-साथ कला संग्रहालय एम्फीथियेटर, प्रदर्शनी गैलरीस समुद्री एक्वेरियम तटीय/समुद्री संसाधन व्याख्या केन्द्र कैफेटेरिया, शौचालय, चिकित्सा, सुविधाएँ, स्टॉल और कार्यालय के निर्माण की परियोजना की योजना थी। महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ने 2014 में सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 के तहत एक विशेष व्यवस्था के रूप में एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. को

परियोजना की सिफारिश की। मामलो के आधार पर सी.आर.जेड क्षेत्र- IV (जिसमें निम्न ज्वार रेखा से समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक जल क्षेत्र शामिल है) के अंतर्गत आता है। लेकिन लेखापरीक्षा जाँच में परियोजना की ई.आई.ए. प्रक्रिया में कमियों का खुलासा हुआ। लेखापरीक्षा ने देखा कि ई.आई.ए. गैर-मान्यता प्राप्त सलाहकार द्वारा तैयार किया गया था। और ई.आई.ए. में परियोजना स्थल के व्यापक पारिस्थितिक मूल्यांकन का अभाव था। इसके अलावा, हालाँकि परियोजना में ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के अनुसार मूल्यांकन होना था, इसे जनसुनवाई से छूट दी गई और 2015 में पर्यावरण स्वीकृति दी।

विशिष्ट परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए सी.आर.जेड .अधिसूचना में संशोधन न केवल एक बुरी मिसाल कायम करता है बल्कि तटीय पारितंत्र के संरक्षण के प्रयासों को विफल करता है।

3.9 ई.आई.ए. अधिसूचना में प्रमुख बुनियादी रूपरेखा में आनेवाली परियोजना श्रेणियों को शामिल न किया जाना

सी.आर.जेड. अधिसूचना के प्रावधानों के लिए उन परियोजनाओं की आवश्यकता है जो ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 और सी.आर.जेड. अधिसूचना दोनो का पालन करती है लेकिन ई.आई.ए. अधिसूचना के तहत अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है। हालांकि ई.आई.ए. अधिसूचना 2006, सभी प्रकार के विकास परियोजनाओं को व्यापक रूप से शामिल नहीं करती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रकृति और संरचना के पैमाने से परियोजनाओं ने सी.आर.जेड. स्वीकृति के अलावा व्यापक ई.आई.ए. मूल्यांकन को शामिल किया है हालांकि इन परियोजनाओं को ई.आई.ए. की बहुस्तरीय प्रक्रिया से गुजरे बिना ही अनुमोदित किया गया था। परियोजना अनुमोदन तंत्र में इस अंतर के परिणामस्वरूप संदर्भ की शर्तों और सार्वजनिक परामर्श के बिना परियोजना के स्वीकृति प्रदान की गई थी। परियोजनाओं पर नीचे चर्चा की गई हैः-

क. मुंबई की तटीय सड़क: जो सड़क का निर्माण नगरपालिका करती है वो ई.आई.ए. अधिसूचना को पालन करने वाली परियोजना की किसी भी श्रेणी में नही आता है। प्रस्तावित परियोजना मुंबई तटीय सड़क को 2017 में सी.आर.जेड. अधिसूचना के तहत स्वीकृति दी गई थी। इस प्रकार, वो परियोजना जिसमें अन्यथा महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रसंग था, जन सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण चरण को दरकिनार कर दिया क्योंकि सी.आर.जेड. अधिसूचना अनुमोदन प्रक्रिया में सार्वजनिक परामर्श प्रदान नहीं करती है। यह ध्यान देने योग्य है कि अधिसूचना के नियक 4(ई) में परिकल्पना की गई है कि एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. एक विशिष्ट या सामान्य आदेश के तहत उन परियोजना को निर्दिष्ट कर सकता है जिनके लिए परियोजना प्रभावित लोगों की पूर्व सार्वजनिक सुनवाई की आवश्यकता होती है।

ख. मुंबई ट्रांस-हार्बर सी लिंक (एम.टी.एच.एल.): प्रस्तावित परियोजना से सेवरी और चिरले के बीच मुंबई हार्बर पर 22 किमी लंबे सड़क पुल का निर्माण शामिल है। पुल सी.आर.जेड.-I क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिसमे मडफ्लैट्स (सेवरी और शिवाजी नगर में) मैग्रोव एवं एक फ्लैमिंगो प्रजनन स्थल शामिल थे। परियोजना को ई.आई.ए. अधिसूचना 1994 और सी.आर.जेड.

अधिसूचना 1991 के तहत 2005 में पर्यावरण स्वीकृति दी गई थी। चूँकि परियोजना का काम निर्धारित समयावधि में शुरू नही हो पाया था इसलिए ई.सी. की समय सीमा समाप्त हो गई थी। 2015 में परियोजना को सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृति दी गई थी। परियोजना ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के प्रावधानों का पालन नहीं करती थी क्योंकि स्टैडंअलोन पुल ई.आई.ए. अधिसूचना की किसी भी श्रेणी में नही आते थे। इसके परिणाम स्वरूप टी.ओ.आर. और सार्वजनिक परामर्श के बिना परियोजना को स्वीकृति दी गई, हालांकि इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण पुर्नवास और स्थानीय निवासियों का पुर्नवास शामिल था। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें ये है कि स्टैंडअलोन पुलों को अब ड्राफ्ट ई.आई.ए. अधिसूचना 2020 में जगह मिल गई, हालांकि निर्मित क्षेत्र >= 1,50,000 वर्गमीटर या 15 हेक्टेयर वाले पुलों को इस परियोजना को बी2 श्रेणी में रखा जाएगा अब इसकी स्वीकृति के लिए केवल दो प्रक्रियाओं की आवश्यकता होगी अर्थात पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करना और एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा इसका मूल्यांकन करना अतः परियोजना को अभी भी व्यापक तरीके से नहीं माना जाएगा क्योंकि सार्वजनिक परामर्श और ई.आई.ए. प्रतिवेदन तैयार करने जैसी मुख्य प्रक्रिया को छोड़ दिया जाएगा।

3.10 निष्कर्ष

- एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. मंत्रालय के परियोजना अनुमोदन तंत्र में कमियां थी। ई.आई.ए. अध्ययनों में समग्र पारिस्थितिकी मूल्यांकन का अभाव था जिससे प्रमुख पारिस्थितिकी जोखिमों को पहचान करने और संभावित पारिस्थितिकी प्रभावों को कम करने में वह असफल रहे। परियोजना प्रस्तावकों को स्वीकृति दी गई हालांकि परियोजनाएं संवेदनशील वनस्पतियों और जीवों पर प्रभाव को संबोधित करने में विफल रही।
- संचयी प्रभाव मूल्याकंन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप परियोजना क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रभावों एवं संयुक्त प्रभावों का अध्ययन किए बिना परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।
- एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. यह सुनिश्चित करने में विफल रही कि परियोजना प्रस्तावकों ने ई.एम.पी. के लिए बजट निर्धारित किया था।
- मंत्रालय नें प्रस्तावक/ई.आई.ए. अध्ययनों द्वारा प्रस्तुत जानकारी का स्वतंत्र सत्यापन किए बिना परियोजना प्रस्तावक पर विश्वास किया।
- ऐसे मामले भी थे जहां एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. ने व्यक्तिगत परियोजनाओं के अनुमोदन की सुविधा के लिए सी.आर.जेड. अधिसूचना में संशोधन किया था। पारिस्थितिकी तंत्र पर कोई तकनीकी अध्ययन किए बिना किए गए संशोधन ने पूरे समुद्र तट को प्रभावित किया।

- इस प्रकार परियोजना की स्थापना के लिए स्वीकृति देने की प्रक्रिया पूरी तरह से सुनिश्चित नही कर पाई थी जिससे प्रस्तावित परियोजनाओ का तटीय पारिस्थितिकी पर हानिकारक प्रभाव न पड़े।